सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 330/17 निर्णय दिनांकः 22/12/2017

श्यामसुन्दर पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24—05—2003

सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट को भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद श्रेणी का रकबा आवंटित किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 2 आर.एम.डी के मुरब्बा नम्बर 179/47 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24.10 बीघा भूमि आवंटन की गई अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि मोहरबंद गजट में आरक्षित भूमि थी।

इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे।

चूंकि अपीलांट बतौर भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपील अंदर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 29–09–2017 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट

रूप से मियांद बाहर है। अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबन्द गजट में आरक्षित होने के कारण अन्य को आवंटित हो चकी है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अपीलांट ने अपील मिंयाद बाहर पेश की है तथा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 2 आरएमडी के मुरब्बा नम्बर 179/47 के किला नम्बर 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि अनकमाण्ड भूमिहीन के तौर पर आवंटन करते हुए अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी किया गया। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया क्योंकि उक्त भूमि मोहरबंद गजट में आरक्षित भूमि थी।

(2) प्रकरण में आवेदक आवंटी को आवंटन सहालकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन योग्य भूमियों व श्रेणी तथा वर्गीकरण का विवरण विभागिय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया उपधारित है। आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन अधिकारी की अनुशंसा के बाद जॉच ही सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में भूमि का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन दिनांक 24–05–2003 को किया गया है।

(3) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपीलांट के आवंटन को आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। अपीलांट का आवंटन आज भी बरकरार है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना कि आराजी जैर विशेष आवंटन हेतु आरक्षित है, अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन भूमिहिन के तौर पर किया गया है। जबकि आराजी जैर सामान्य आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। यह अपीलांट के साथ घोर अन्याय व विभागीय लापरवाही का उदाहरण है।

(4) अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही इस तथ्य की जॉच की जानी अपरिहार्य थी कि क्या आराजी जैर भूमिहीन/सामान्य श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखते हुए अपीलांट को विशेष आवंटन के तहत आरक्षित भूमि का भूमिहीन/सामान्य श्रेणी में आवंटन किया गया है, उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य आवंटन की श्रेणी का आवंटन है। अदालत मातहत

की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) जब अदालत हाजा के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत हो चुके है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कृतव्य है कि अपीलांट के विरूद्व हुई इसप्रकार की अनियमितता के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना व अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम रहते हुए अपीलांट को पूर्व में विशेष आवंटन के तहत अन्य को आवंटनशुदा भूमि/विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(6) अपीलांट का आवंटन बतौर भूमिहीन के बजाय मोहरबन्द श्रेणी की भूमि का किया जाना साबित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया जबकि अपीलांट की पात्रता कायम है। चूंकि अपीलांट को मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 7 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता अनुसार भूमिहीन श्रेणी की भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर